



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092020-221940
CG-DL-E-24092020-221940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2915] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942
No. 2915] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

का.आ. 3263(अ).—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 60 की उपधारा (1) के अनुबंधों के अनुसरण में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102), 25 सितम्बर, 2020 से एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत, गठित भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3क के तहत नियुक्त शासी मंडल भंग हो जाएगा।

[सं. वी. 11013/01/2019-एमईपी (भाग III)]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2020

S.O. 3263(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of the section 60 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) is hereby repealed with effect from the 25th day of September, 2020.

2. The Board of Governors appointed under section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) in supersession of the Medical Council of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the said Act shall stand dissolved.

[No.V.11013/01/2019-MEP (Pt.III)]

NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.